

इन्वेस्ट यूपी ने निवेशक विश्वास और नीतिगत स्पष्टता हेतु जीएसटी से संबंधित प्रकरणों पर उच्च-स्तरीय सत्र का आयोजन किया

उत्तर प्रदेश में लंबित जीएसटी मामलों के समाधान पर उच्च-स्तरीय बैठक, निवेशकों की बाधाएं होंगी दूर: मुख्य सचिव

लखनऊ, 1 जून 2025: प्रदेश में निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करने और नीति संबंधी बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से, **मुख्य सचिव, श्री मनोज कुमार सिंह** की अध्यक्षता में **इन्वेस्ट यूपी** ने लखनऊ के ताज होटल में **गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST)** से जुड़े मुद्दों पर एक उच्च-स्तरीय सत्र का आयोजन किया। इस सत्र का उद्देश्य निवेशकों की लंबित जीएसटी संबंधी चिंताओं को हल करना, राज्य के प्रोत्साहन तंत्र में स्पष्टता लाना और उत्तर प्रदेश को उद्योग-अनुकूल निवेश गंतव्य के रूप में और अधिक सशक्त बनाना था।

इस बैठक में मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह के साथ प्रमुख उद्योग जगत के हितधारकों, अग्रणी जीएसटी विशेषज्ञों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। वरुण बेवरेजेज, बलरामपुर चीनी मिल्स और पसवारा पेपर्स लिमिटेड सहित कई प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि, साथ ही पिकअप (PICUP) और इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी भी इस चर्चा में शामिल हुए।

इस संवादात्मक सत्र में उद्योगों द्वारा जीएसटी से संबंधित तकनीकी और कानूनी चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा हुई, विशेष रूप से राज्य प्रोत्साहनों के लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में। प्रमुख विषयों में एक से अधिक जीएसटीएन (GSTIN) की जटिलताओं और उनके औद्योगिक नीति पर पड़ने वाले प्रभावों को शामिल किया गया। साथ ही, उद्योग जगत की चिंताओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए एक स्पष्ट और सरल नीति ढांचे की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया।

जीएसटी विशेषज्ञों और PICUP अधिकारियों ने लंबित प्रतिपूर्ति मामलों को हल करने और भविष्य में देरी से बचने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर व्यावहारिक सुझाव दिए। निवेशकों ने इस सत्र में सक्रिय भागीदारी निभाई, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और व्यावसायिक सुगमता को प्रभावित करने वाली बाधाओं को उजागर किया।

मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने उठाए गए मुद्दों पर संज्ञान लेते हुए, सरकार की पारदर्शी और उत्तरदायी नीति बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने संबंधित विभागों को लंबित जीएसटी प्रतिपूर्ति मामलों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर शीघ्रता से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्योगों को मिलने वाले प्रोत्साहन और जीएसटी प्रतिपूर्ति में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए।

"हमारा लक्ष्य निवेशकों के लिए एक सहज और सुविधाजनक वातावरण बनाना है। जीएसटी मुद्दों का शीघ्र समाधान उद्योग के विश्वास को मजबूत करेगा और हमारी नीतियों को ठोस परिणामों में बदलने में मदद करेगा," श्री सिंह ने कहा।

इन्वेस्ट यूपी की यह पहल राज्य में नियामक स्पष्टता बढ़ाने, अनुपालन बोझ को कम करने और व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। यह उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और घरेलू एवं वैश्विक निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है।
